प्रधानमंत्री द्वारा साहेबगंज मल्टी मोडल टर्मिनल(बंदरगाह) के निर्माण में हुई सामाजिक-पर्यावरणीय प्रावधानों की अवहेलना की अनदेखी कर उद्घाटन - एक निंदनीय क़दम

राँची, 12 सितंबर : प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर साहेबगंज में गंगा पर बने मल्टी मोडल टर्मिनलके पहले चरण का आज ऑनलाइन उद्घाटन कर दिया जबकि इस परियोजना के कारण वहाँ उत्पन्न कई सामाजिक-पर्यावरणीय मुद्दों का निपटारा अभी बाकी है । सरकार ने इस अवसर पर यह दावा किया कि यह निर्माण रिकार्ड समय में हुआ है पर यह उपलब्धि जनहित के इन मुद्दों को दरकिनार कर के ही हासिल की गई है । सरकार का यह नजरिया हमारे लिए चिंता का सबब है।

बंदरगाह के लिए कुल 195 एकड़ जमीन का अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत किया गया, जिसमें 485 परिवारों को इस परियोजना से प्रभावित परिवारों के रूप में चिन्हित किया गया । इस परियोजना के प्रभावितों ने न सिर्फ अपनी जमीन खो दी बल्कि उनका रोजगार भी समाप्त होने की कगार पर है । इनमें से काफी परिवारों का पुनर्वास भी अबतक नहीं हुआ है । इन परिवारों की मुआवजे और पुनर्वास को लेकर कई शिकायतें हैं जिनका, पदाधिकारियों से मिलकर आग्रह करने के बावजूद, समाधान नहीं हुआ है । इसके बाद, जहाजों के रख-रखाव एवं अन्य सुविधाओं के लिए 335 एकड़ अतिरिक्त जमीन पर यहीं एक काॅम्पलेक्स बनाने की भी योजना है जिसके लिए जमीन अधिग्रहण होने के समय बड़ी संख्या में और परिवार विस्थापित होंगे ।

इस टर्मिनल के चालू होने पर पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ना तय है जिससे निपटने की कोई योजना सामने नहीं है । कोयला जैसे खनिजों की यहाँ से ढुलाई, रख-रखाव के कारण तेल के रिसाव, जहाजों के शोर वगैरह से न सिर्फ यहाँ का पर्यावरण बिगड़ेगा, मछुआरों का रोजगार प्रभावित होगा बल्कि जलजीवों एवं वनस्पति के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो जाएगा ।

स्पष्ट है कि इस टर्मिनल का इस क्षेत्र के पर्यावरण पर बहुआयामी असर होगा अतः पर्यावरण संरक्षण के नियम कानून का पूरी तरह पालन ज़रूरी है जबकि जहाजरानी मंत्रालय द्वारा इस परियोजना के लिए पर्यावरण प्रभाव अध्ययन (EIA Study) जैसी जरूरी क़ानूनी बाध्यता को भी दरकिनार किया गया।

हम, जो राष्ट्रीय जलमार्ग-1 परियोजना के फलस्वरूप पैदा हुए सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरण संबंधी प्रभावों के विभिन्न पहलुओं पर कार्य करते रहे हैं, यहाँ इनकी अनदेखी पर चिंता व्यक्त करते हुए मांग करते हैं कि -

1) इस परियोजना से प्रभावित परिवारों के भुमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास कानून 2013 के अनुसार न्यायसंगत पुनर्वास में साहेबगंज की जनता की भागीदारी से तेजी लाई जाए,

2) आगे अब और कोई भूमि अधिग्रहण तबतक न हो, जो कि एक निजी कम्पनी के लिए किया जाना है, जबतक 2013 के कानून के अनुसार 80 प्रतिशत प्रभावित लोगों की सहमति प्राप्त न हो जाए,

3) संबंधित मंत्रालय सुनिश्चित करें कि साहेबगंज के इस बंदरगाह में आगे किए जाने वाले निर्माण कार्यों के पूर्व कानूनी रूप से जरूरी अनुमति प्राप्त की जाए एवं इस परियोजना का सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरण संबंधी विस्तृत अध्ययन हो।

4) बड़ी संख्या में प्रभावित हो रहे ऐसे लोगों, विशेषकर सदियों से अपने पारंपरिक रोजगार से जुड़े छोटे नाविकों और मछुआरों जिनके रोजगार खत्म हो गए, को रोजगार के विकल्प देने की व्यवस्था हो ।

झारखंड के लोग जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति बेहद संवेदनशील हैं, विकास के नाम पर हो रही प्राकृतिक संसाधनों की लूट को देखते रहे हैं। हम प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि इस परियोजना में हुए पर्यावरण संरक्षण संबंधी प्रावधानों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए तुरंत यहाँ इसके पूर्ण अनुपालन का निर्देश दें।

जन आन्दोलनों का राष्ट्रीय समन्वय, मंथन अध्ययन केंद्र, आदिवासी अधिकार मंच, भुमि बचाओ संघर्ष समिति, एकल नारी सशक्ति संगठन, आदिवासी हक भुमि सुरक्षा मोर्चा, ग्राम गणराज्य प्रखंड समिति, जोश, हदमा किसान जन संगठन, कर्णपूरा बचाओ संघर्ष समिति

संपर्क: बसंत हेतमसरिया (9934443337), श्रीपाद धर्माधिकारी (9552526472)